

# प्रखण्ड कार्यालय, पारु, मुजफ्फरपुर

विज्ञापन संख्या-01/2024-25

## ग्राम कचहरी न्यायमित्र के रिक्त पद पर संविदा पर नियोजन हेतु सूचना

जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 3347/पं० दिनांक 04.11.2024 के आलोक में ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजन "बिहार ग्राम कचहरी न्याय मित्र (नियोजन, सेवाशर्त एवं कर्तव्य) नियमावली 2007" के आलोक में

पारु प्रखण्ड अन्तर्गत विभिन्न ग्राम कचहरियों में न्यायमित्र के पंचायतवार संलग्न विवरणी (अनुलग्नक-1 एवं 2) के अनुसार रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन हेतु इच्छुक एवं अर्हता धारण करने वाले अभ्यर्थियों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

### 1. नियोजन हेतु अर्हता :-

क्र० सं०	पदनाम	शैक्षणिक योग्यता	आयु	कार्यानुभव	अभ्युक्ति
01	ग्राम कचहरी न्यायमित्र (मानदेय 7000/-रूपये प्रति माह)	(i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला का निवासी हो। (ii) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम-से-कम विधि स्नातक डिग्रीवारी प्राप्त व्यक्ति ग्राम कचहरी न्याय मित्र के पद पर नियुक्ति का पात्र होगा।	दिनांक-01.01.2024 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होगी एवं अधिकतम उम्र 65 वर्ष होगी।		

पारु प्रखण्ड अन्तर्गत न्यायमित्र की रिक्ति निम्न प्रकार है।

क्र०सं०	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	प्रखण्ड अंतर्गत ग्राम कचहरी की कुल संख्या	न्यायमित्र के पद पर रिक्ति वाले ग्राम कचहरी का नाम/आरक्षण कोटि		अभ्युक्ति
				पंचायत का नाम	आरक्षण कोटि	
1	मुजफ्फरपुर	पारु	34	चौकेवारी	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	
2				उस्ती	पिछड़ा वर्ग	
3				बैजलपुर	अनारक्षित	
4				कटारु	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (महिला)	
5				चिन्तामनपुर	अनारक्षित (महिला)	
6				जाफरपुर	अनुसूचित जाति (महिला)	
7				चोचाही छपड़ा	अनारक्षित	
8				जगदीशपुर बाया	पिछड़ा वर्ग (महिला)	
9				कोईरिया निजामत	अनारक्षित	
10				रामपुर केशो उर्फ मलाही	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	
11				भगवानपुर सिमरा	आर्थिक रूप से कमजोर	

*(Handwritten Signature)*

**अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक अनुदेश :-**

- नियोजन कि प्रक्रिया- (1) पारू प्रखण्ड के अन्तर्गत ग्राम कचहरी अथवा उसकी न्यायपीठ को सहायता करने के लिए एक न्यायमित्र की संविदा पर नियुक्ति की जानी है।
2. जिला स्तर पर गठित रोस्टर के आधार पर जिले के न्यायमित्र की रिक्ति की विवरणी (आरक्षण के दृष्टिकोण से) नियुक्ति की शर्तें एवं नियुक्ति हेतु अर्हताएँ जिला परिषद कार्यालय संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित की जायगी।
  3. विहित प्रपत्र (अनुसूची 1) में आवेदन पत्र संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा। प्रखंड स्तर पर इस निमित्त प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पारू को नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है जो आवेदन पत्र प्राप्त करेगा तथा प्राप्ति के बाद प्राप्ति रसीद आवेदक को देगा एवं प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को ग्राम कचहरीवार पंजी में संधारित करेगा।
  4. ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु पैनल ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा मेघा अंको के आधार पर तैयार किया जाएगा।
  5. मेघा निर्धारण में विधि स्नातक डिग्रीधारी के अंको को आधार बनाया जाएगा।
  6. ग्राम कचहरी न्यायमित्र के नियोजन हेतु तैयार पैनल का अनुमोदन निम्न समिति द्वारा किया जाएगा:-
    - (क) ग्राम कचहरी के सरपंच - अध्यक्ष
    - (ख) ग्राम कचहरी के अन्य सभी पंच - सदस्य
    - (ग) ग्राम कचहरी सचिव - सदस्य सचिव
  7. समिति की बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नामित नोडल पदाधिकारी को फौसिलिटेटर के रूप में भाग लेने हेतु प्रतिनियुक्त करेगा।
  8. समिति की बैठक की कार्यवाही जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी को निश्चित रूप से भेजी जाएगी।
  9. समिति के अनुमोदनोपरान्त आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि के एक माह के अन्दर उक्त पैनल को संबंधित पंचायत समिति, संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना-पट पर प्रकाशित किया जाएगा। पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु पन्द्रह दिनों का समय दिया जाएगा।
  10. पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति पैनल के प्रकाशन की तिथि के पन्द्रह दिनों के अन्दर संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को कार्यालय में दायर किया जाएगा।
  11. प्राप्त आपत्ति के लिए आपत्तिकर्ता के प्राप्ति रसीद दी जाएगी।
  12. आपत्ति का निराकरण संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा आपत्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि के सात दिनों के अन्दर किया जाएगा एवं तत्पश्चात् ग्राम कचहरी को सूचित किया जाएगा जिसके अनुसार ग्राम कचहरी आवश्यकतानुसार पैनल संशोधित करेंगे एवं पुनः पैनल को उपनियम (9) के अनुसार पूर्व की तरह प्रकाशित करेंगे।
  13. अंतिम रूप से प्रकाशित पैनल ग्राम कचहरी के पूर्ण कार्यकाल के लिए वैध रहेगा।
  14. सर्वप्रथम ग्राम कचहरीवार मेघा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी की रिक्ति भरी जाएगी।
  15. काउंसिलिंग तिथि का प्रकाशन संबंधित पंचायत समिति संबंधित ग्राम पंचायत एवं ग्राम कचहरी कार्यालय के सूचना पट पर किया जाएगा। काउंसिलिंग में अभ्यर्थियों की उपस्थिति की प्राप्ति दी जाएगी।
  16. समिति द्वारा ग्राम कचहरी के लिए चयनित अभ्यर्थी को संविदा पर नियोजन हेतु पत्र (अनुसूची-11) के आधार पर योगदान स्वीकृत किया जायेगा।
  17. ग्राम कचहरी की मेघा सूची से संबंधित ग्राम कचहरी के रिक्ति को भरे जाने के बाद ग्राम कचहरीवार तैयार किए गये पैनल को सुरक्षित रखा जाएगा ताकि भविष्य में यदि रिक्ति हो तो संबंधित ग्राम कचहरी की मेघा सूची से अवरोही क्रम में उपर्युक्त समिति द्वारा काउंसिलिंग के आधार पर रिक्ति को भरा जा सके।



## सेवा संबंधी अन्य शर्तें :-

1. ग्राम कचहरी की कार्यावधि पूर्ण होने के साथ न्याय मित्र के पद पर संविदा पर नियोजित अभ्यर्थी का संविदा स्वतः समाप्त हो जायेगा।
  2. यह नियुक्ति संविदा के आधार होगी और किसी भी समय सेवा असंतोषप्रद तथा नियम-11 में उल्लेखित कारणों के आलोक में एक माह की पूर्व सूचना देकर न्याय मित्र के पद पर संविदा को रद्द किया जा सकेगा।
  3. उपयुक्त कोटि का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर किसी ग्राम कचहरी विशेष के न्याय मित्र की रिक्ति को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा समीपवर्ती ग्राम कचहरी के न्याय मित्र के द्वारा अतिरिक्त प्रभार देकर भरा जाएगा। अतिरिक्त प्रभार के लिए संविदा राशि की 20 बीस प्रतिशत राशि प्रतिनियुक्ति भत्ता के रूप में देय होगा।
- (i) ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर संविदा पर नियोजन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधीनताकारी के कार्यालय में सीधे अथवा निबंधित डाक द्वारा प्राप्त किया जायेगा। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
  - (ii) आवेदन पत्र के लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम एवं पंचायत का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
  - (iii) आवेदन पत्र के साथ दो 10"X6" साईज का अपना पता लिखा हुआ लिफाफा डाक टिकट के साथ संलग्न करना होगा।
  - (iv) आवेदन पत्र के योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र/अंक पत्र/जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए) जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र की की अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
  - (v) जिनका चयन होगा वे काउन्सिलिंग के लिए निर्धारित तिथि /समय एवं स्थान पर अपने सभी मूल प्रमाण पत्र/अंक पत्र/जाति प्रमाण पत्र के साथ-साथ उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ उपस्थित होंगे।
  - (vi) नियोजन के पूर्व यथा आवश्यक निवास प्रमाण-पत्र देना होगा।
  - (vii) छाया प्रति के आधार पर यथा आवश्यक जाँच कराई जाएगी एवं किसी प्रकार की गलती पाये जाने की स्थिति में नियोजन रद्द करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी।
  - (viii) आवेदन पत्र पर पासपोर्ट साईज का स्वअभिप्रमाणित फोटो होना आवश्यक होगा।
  - (ix) अधूरे एवं अपूर्ण आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
  - (x) आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
  - (xi) काउंसिलिंग/योगदान के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
2. अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-5381 दिनांक 15.05.2023 के कंडिका-2 एवं पत्रांक 5253 दिनांक - 14.06.2024 के आलोक में नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए जाने के फलस्वरूप जिन ग्राम पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, वैसे ग्राम पंचायतों में अवस्थित ग्राम कचहरियों में कार्यरत ग्राम कचहरी न्यायमित्र का नियोजन समाप्त हो जाने के कारण अगर ऐसे व्यक्ति पुनः नियोजन हेतु इच्छुक हैं तो उन्हें नये अन्य अभ्यर्थियों के साथ ही नये सिर से आवेदन देना होगा। वैसे व्यक्तियों को नये नियोजन के समय पूर्व कार्यानुभव के आधार पर दिये जाने वाले (Weightage) का लाभ नियमानुसार दिया जाएगा।
  3. ग्राम कचहरी न्यायमित्र के पद पर नियोजन हेतु आवेदन पत्र प्राप्ति पैनल निर्माण, आपत्ति का निराकरण एवं अंतिम रूप से नियोजन पत्र निर्गत करने की कर्रवाई हेतु निम्न रूप से समय सीमा निर्धारित किया जाता है।
- |     |  |                             |
|-----|--|-----------------------------|
| (क) | आवेदन प्राप्ति की तिथि :-  | 01/01/2025 से 15/01/2025 तक |
| (ख) | मेघा सूची तैयार कर प्रकाशित करने की तिथि :-                            | 31.01.2025                  |
| (ग) | तैयार पैनल पर किसी प्रकार की आपत्ति देने हेतु विहित समय :-             | 15.02.2025                  |
| (घ) | दावा/आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रूप से तैयार मेघा सूची का प्रकाशन- | 22.02.2025                  |

(ड) मेघा सूची के अनुसार ग्राम कचहरी के न्यायमित्र/ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पद पर काउंसिलिंग की तिथि :-

28.02.2025

(च) काउंसिलिंग के पश्चात नियोजन पत्र का वितरण :-

10.03.2025

4 इस विज्ञापित को मुजफ्फरपुर जिले के वेबसाईट <http://muzaffarpur.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।

अनुलग्नक :- यथोक्त

९० —  
प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
पारू, मुजफ्फरपुर।

शापांक 2571 दिनांक 21/12/2024

- प्रतिलिपि :- सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन एवं प्रपत्र का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाए।
- प्रतिलिपि :- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त सूचना को जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाए।
- प्रतिलिपि:- सभी संबंधित ग्राम कचहरी के माननीय सरपंच/उपसरपंच/पंच/ग्राम कचहरी सचिव प्रखंड पारू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी पारू को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- अनुमंडल पदाधिकारी परिचमी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।
- प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
पारू, मुजफ्फरपुर।